वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 28.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरूक एक्सप्रेस, न्यायाधीश, तरूणमित्र न्यूज,आज,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 28.12.2024

गंगा किनारे अवैध निर्माण तोड़ा

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शुक्रवार को सभी जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अंदर अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वैष्णवी इंटरप्राइजेज प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ढलाई का कार्य पूरा कर फिनशिंग का काम कर रहा था। यहां ध्वस्तीकरण का काम किया गया। भेलूपुर में अजय सिंह दुर्गाकुंड के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण करा रहे थे। इसे सील किया गया। ब्यूरो

अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदले

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को पांच सहायक अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदल दिए। सहायक अभियंता संजीव कुमार की नवीन तैनाती बतौर जोनल अधिकारी वार्ड-नगवां एवं भेलूपुर, प्रकाश कुमार को बतौर जोनल अधिकारी, सारनाथ, जैतपुरा एवं आदमपुर, सिंह गौरव जय प्रकाश को जोनल अधिकारी, रामनगर एवं मुगलसराय (पं. दीन दयाल उपाध्याय) व सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा को जोनल अधिकारी, सिकरौल, शिवपुर एवं सहायक अभियंता (मानचित्र एवं नियोजन) और प्रमोद कुमार तिवारी को निर्माण अनुभाग में नई तैनाती की गई। ब्यूरो

एक सप्ताह से लंबित शिकायत का निस्तारण करें

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से लंबित जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। कहा कि लापरवाही की तो संबंधित के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने जोन-1 और जोन-2 में मानचित्र के निस्तारण रिपोर्ट की समीक्षा की। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 28.12.2024

नेहरू पार्क से आशियाना चौराहे तक विकसित करें फुटपाथ

वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने शुक्रवार को नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क के दोनों ओर फुटपाथ विकसित करने, बेंचेज लगाने, वेंडिंग जोन विकसित और पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए। होटल के बाहर हो रही पार्किंग को हटवाने को कहा। सामूहिक रूप से राजस्व, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और वीडीए व कैंटोनमेंट के सामूहिक प्रयास से जमीन का सर्वे कराने के निर्देश दिए। सड़क के दोनों ओर पौधरोपण करने और डेकोरेटेड लाइट लगवाने व बाउंड्रीवाल बनवाने के निर्देश दिए। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 28.12.2024

नेहरू पार्क से वरुणा पुल चौराहे तक दोनों तरफ बनाया जाएगा फुटपाथ, लगेगी बेंच

वेंडिंग जोन, लाइटिंग व साइनेज से बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, माडल सड़क भी बनेगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने कैंटोनमेंट स्थित नेहरू पार्क से वरुणा पुल चौराहे तक पर्यटकों की सुविधा की जरूरत को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने और एक माडल रोड बनाने की योजना बनाई है। पर्यटकों के लिए इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।

वरुणा ब्रिज तक बनने वाले फुटपाथ का निरीक्षण करते वीडीए अधिकारी • जागरण

नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक होटलों की लंबी श्रृंखला की वजह से देशी-विदेशी पर्यटकों की काफी आवाजाही होती है। पर्यटकों को पैदल आवाजाही में कोई परेशानी न हो इसके लिए वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग शुक्रवार को स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मार्ग का पैदल निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ विकसित किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क के दोनों तरफ लोगों को बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। वेंडिंग जोन भी विकसित किया जाएगा। होटलों के बाहर काफी वाहन खड़े मिले। उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देश दिया कि वे अभियान चलाकर वाहनों को होटलों की पार्किंग में खड़ा कराएं। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में पौधरोपण व ग्रीन जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में डेकोरेटिव लाइट लगाई जाएगी। बाउंड्री वाल पर शहर से संबंधित प्रमुख स्थानों के साइनेज बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस सब कार्य के लिए राजस्व विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, प्राधिकरण और कैंटोनमेंट बोर्ड की सामूहिक टीम कैंटोनमेंट लैंड का सर्वे करेगी। कैंटोनमेंट के सीईओ भी मौजूद रहे।

माडल फुटपाथ • जागरण

- विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने स्वयं निरीक्षण कर कहा, संयुक्त टीम बनाकर करें सर्वे
- होटलों के वाहनों को पार्किंग में जाने के लिए जोनल अधिकारी को अभियान चलाने का निर्देश

दैनिक जागरण–दि0 28.12.2024

सामने घाट में बनने वाले निर्माण को किया ध्वस्त

जासं, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े है। इसी क्रम में वीडीए टीम ने शुक्रवार को सामने घाट पुल के नीचे गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में बन रहे निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

सामने घाट पुल के नीचे वैष्णवी इंटरप्राइजेज बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा रहा था। 387 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के प्रथम तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था। पहले तो इसका नक्शा पास नहीं था दूसरे यह 200 मीटर एचएफएल के दायरे में था। वीडीए ने कई बार निर्माणकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया। इसके बावजूद निर्माणकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। इसी कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई : वीडीए

मकान को सील किया

वार्ड भेलूपुर में अजय सिंह व अन्य दुर्गाकुंड के पास निर्माण करा रहे थे। अवैध निर्माण को कई बार नोटिस दिया गया। इसके बावजूद वे नहीं माने और चोरी छिपे और रात को निर्माण करते रहे। इस कारण जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता सोनू कुमार व प्रवर्तन दल सहित पुलिस बल की टीम ने मकान को सील कर दिया।

दैनिक जागरण–दि0 28.12.2024

छावनी परिषद के नेहरू पार्क में बनारसगिरी 2.0 का आयोजन कल

जासं, वाराणसी : कैंटोनमेंट स्थित नेहरू पार्क रविवार को जुंबा फिटनेस डांस, योगाभ्यास, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मन का कोना, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, स्कैटरिंग, धनुषाभ्यास, अखाड़ा कुश्ती दंगल, किस्सागोई, संगीत प्रस्तुति, वुमेन कराटे, पाव कार्नर आदि शारीरिक, मानसिक, खान-पान के व्यंजन स्टालों से गुलजार रहेगा। वहां छावनी परिषद, वीडीए व यंग इंडियंस (वाइआइ) के संयुक्त तत्वावधान में बनारसगिरी 2.0 का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न स्थान पर रेडियो पार्टनर आनलाइन न्यूज पार्टनर, डालिम्स न्यूज योगा पार्टनर '104 सामुदायिक सहयोगियों जैसे द फिटनेस कलेक्टिव के स्टाल लगेंगे। यह जानकारी छावनी परिषद के सीईओ सत्यम मोहन ने दी।

हिन्दुस्तान–दि0 28.12.2024

वीडीए के पांच एई इधर से उधर गए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने पांच सहायक अभियंताओं का कार्यक्षेत्र बदला है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सहायक अभियंता संजीव कुमार को नगवा और भेलूपुर का जोनल अधिकारी बनाया है। वहीं, प्रकाश कुमार को सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर, सिंह गौरव जय प्रकाश को रामनगर तथा मुगलसराय, शिवाजी मिश्रा को सिकरौल एवं शिवपुर का जोनल अधिकारी नियुक्त किया। उधर, प्रमोद कुमार तिवारी को निर्माण विभाग में तैनाती मिली है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 28.12.2024

होटलों की पार्किंग में वाहन खड़े हों

वाराणसी। नेहरू पार्क से आशियाना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ आमलोगों की सुविधाओं के मद्देनजर फुटपाथ विकसित किया जाएगा। वहीं होटलों के बाहर खड़े वाहनों को अब उनकी पार्किंग में ही पार्क किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

वीडीए उपाध्यक्ष ने इस बाबत निर्देश जोनल अधिकारी को दिया है। शुक्रवार को कैंटोमेंट बोर्ड के सीईओ सत्येंद्र मोहन एवं वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने संयुक्त निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर बेंच लगाई जाएगी, वेंडिंग जोन, पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ लाइटें लगाने एवं बाउंड्रीवॉल और साइनेज लगाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 28.12.2024

पर्यटकों के लिए छावनी क्षेत्र को बेहतर बनाने पर मंथन

वीडीए उपाध्यक्ष व कैंटोनमेंट के सीईओ ने मौके का किया निरीक्षण

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

शहर में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए उनकी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए छावनी क्षेत्र के सीईओ और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को मौके पर निरीक्षण कर रूपरेखा तैयार की है। दोनों अफसरों ने नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ वर्तमान समय में पर्यटक एवं आम यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ विकसित किए जाने के क्रम में छावनी क्षेत्र में फुटपाथ चिह्नांकन के लिए स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि सड़क के दोनों ओर फुटपाथ विकसित किया जाये जिससे वर्तमान में पर्यटक एवं आम यात्रियों को पैदल चलने में सुविधा हो। सड़क के दोनों तरफ बेंचेज लगाने, वेंडिंग जोन विकसित करने एवं व्यवस्थित स्थान पर सुविधाजनक पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए।

> नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ पर्यटक व आम यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जायेगा फुटपाथ

वर्तमान समय में होटल के बाहर हो रहे पार्किंग को संबंधित होटल के पार्किंग में वाहनों को पार्क करवाने के लिए संबंधित जोनल अधिकारी को निर्देश दिए गए। सामूहिक रूप से राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, वीडीए तथा कैंटोनमेंट के सामूहिक टीम द्वारा कैंटोनमेंट लैंड का सर्वे कराने के निर्देश दिये गये। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में पौधरोपण एवं ग्रीन जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में डेकोरेटेड लाईट लगाने एवं बाउंड्री वॉल पर शहर से संबंधित प्रमुख स्थानों के साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गये जिससे कि बाहर से आ रहे हैं पर्यटकों को सुविधा हो। निरीक्षण के दौरान कैंटोनमेंट सीईओ, उपाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 28.12.2024

मानचित्रों का जल्द करें निस्तारण

अपर सचिव ने की जोन एक व दो की समीक्षा

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-एक एवं जोन-दो की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान लंबित शमन मानचित्रों का जल्द निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि 27,75,098 जमा कराया गया है, तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 6,92,68,827 जमा करायी गयी है एवं जोन-दो के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में एक सप्ताह के भीतर शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 17,47,706 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 6,63,23,831 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिह्नांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाये।

वीडीए ने एचएफएल एरिया में किया ध्वस्तीकरण

एक अवैध निर्माण को किया सील

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-चार की प्रवर्तन टीम ने गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अंदर एचएफएल में अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। प्रदीप यादव ने सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी [illegible] वार्ड-नगवां, पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एचएफएल के अन्तर्गत पूर्व निर्मित भूतल के प्रथम तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी [illegible] द्वारा सुनवाई की तिथि को उपस्थित न होने के कारण एचएफएल के अंतर्गत किये गये निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं दूसरी तरफ जोन-चार की प्रवर्तन टीम द्वारा सील की कार्यवाही की गयी। भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत अजय सिंह व अन्य द्वारा दुर्गाकुण्ड के पास में अवैध निर्माण किया जा रहा था। उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस पूर्व में जारी किया गया था, निर्माणकर्ता द्वारा चोरी छिपे किये जा रहे निर्माण को शुक्रवार को सील कर दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 28.12.2024

पांच सहायक अभियंताओं का बदला कार्यक्षेत्र

वाराणसी। वीडीए में कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए शुक्रवार को पांच सहायक अभियंताओं का कार्यक्षेत्र बदला गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कार्यों को समयबद्ध सम्पादन, सुचारु रूप से संचालन, अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य व समय-समय पर शासन द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंताओं के मध्य पूर्व पारित कार्य आवंटन आदेश में निम्नवत संशोधन करते हुए प्राधिकरण की तरफ से दिए गए आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता संजीव कुमार की नवीन तैनाती बतौर जोनल अधिकारी वार्ड-नगवां एवं भेलूपुर, प्रकाश कुमार को बतौर जोनल अधिकारी, सारनाथ, जैतपुरा एवं आदमपुर, सिंह गौरव जय प्रकाश को जोनल अधिकारी, रामनगर एवं मुगलसराय (पं. दीन दयाल उपाध्याय) व सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा को जोनल अधिकारी, सिकरौल, शिवपुर एवं सहायक अभियंता (मानचित्र एवं नियोजन) तथा प्रमोद कुमार तिवारी को निर्माण अनुभाग में नवीन तैनाती की गई।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 28.12.2024

गढ़वासी टोला में विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में गढ़वासी टोला स्थित आंतरिक गलियों और संपर्क मार्ग के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इन कार्यों में पेयजल लाइन 423 मीटर, सीवर लाइन 80 मीटर, सीसी रोड 373 मीटर और स्टोन फ्लोरिंग का समावेश है। इनकी अनुमानित लागत 72.32 लाख रुपये है। शिलान्यास समारोह का नेतृत्व माननीय दक्षिण विधायक नीलकंठ तिवारी ने किया। इस अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और संबंधित विकासकर्ता भी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के निवासियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाएगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना करते हुए इसके शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 28.12.2024

भवनों में होने वाले हादसों में बिल्डर की भी जिम्मेदारी

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। बिल्डर एग्रीमेंट तहत बनने वाले भवनों में हादसा या अन्य गड़बड़ी में अब बिल्डर की जवाबदेही तय की जाएगी। उन पर एफआईआर भी दर्ज होगा। दरअसल नियमानुसार कागजात में भवन स्वामियों का नाम होता है। यही कारण है भवन स्वामी पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब नए नियम में बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा। शहर में पुरानी बिल्डिंग में 60:40 के हिसाब से बिल्डर और भवन स्वामी विकास कार्य करा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान होने वाले हादसे में बिल्डर बच निकलते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऐसे नक्शे की स्वीकृति जारी की जाती है। जो वास्तविक भू स्वामी होते हैं। जबकि इस जमीन पर भू स्वामी पैसा नहीं लगाता है। पैसा बिल्डर लगाता है। यदि जमीन का मालिक निर्माण के लिए किसी बिल्डर से करार करता है तो वह उपभोक्ता कहलाएगा। यदि जमीन मालिक का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में है। निर्माण कार्य पर नियंत्रण बिल्डर का होता है। बिल्डर भू स्वामियों से एग्रीमेंट करने के दौरान कई पेच फंसा देते हैं। ज्यादातर कागजों में भवन स्वामी का नाम होता है।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 28.12.2024

वीडीए में हुई जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 15 से 21 दिसम्बर तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू. 27,75,098.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू.-6,92,68,827.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में 15 से 21 दिसम्बर तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू.-17,47,706.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू.-6,63,23,831.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

8

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 28.12.2024

प्रवर्तन टीम द्वारा की गयी गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अन्दर एच.एफ.एल. में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, वार्ड-नगवाँ, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एच0एफ0एल0 200 मीटर के अन्तर्गत लगभग 387 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के प्रथम तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई की तिथि को उपस्थित न होने के कारण एच0एफ0एल0 के अंतर्गत किये गये निर्माण को आज दिनांक 27/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश सिंह, सोनू कुमार, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 28.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 15.12.2024 से 21.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 27,75,098.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन 'धनराशि रू0-6,92,68,827.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 21.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-17,47,706.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकरी, श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 28.12.2024

वाविप्रा जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशानुसार में 27दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अन्दर एच0एफ0एल0 में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।प्रदीप यादव द्वारा सामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, वार्ड-नगवॉं, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एच0एफ0एल0 200 मीटर के अन्तर्गत लगभग 387 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के प्रथम तल पर ढलाई का कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई की तिथि को उपस्थित न होने के कारण एच0एफ0एल0 के अंतर्गत किये गये निर्माण को आज दिनांक 27/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश सिंह, सोनू कुमार, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 28.12.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने फुटपाथ चिन्ह्यांकन के लिए किया स्थल निरीक्षण

वाराणसी ।नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ वर्तमान समय मे पर्यटक एवं आम यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ विकसित किए जाने के क्रम में आज दिनांक 27.12.2024 को कैंटोनमेंट सीईओ एवं उपाध्यक्ष द्वारा फुटपाथ चिन्ह्यांकन हेतु स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न निर्देश दिए गए जो इस प्रकार हैं। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ विकसित करने जिससे वर्तमान में पर्यटक एवं आम यात्रियों को पैदल चलने में सुविधा हो । सडक के दोनों तरफ बेंचेज लगाने ,बेंडिंग जोन विकसित करने एवं व्यवस्थित स्थान पर सुविधाजनक पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए।वर्तमान समय में होटल के बाहर हो रहे पार्किंग को संबंधित होटल के पार्किंग में वाहनों को पार्क करवाने के लिए संबंधित जोनल अधिकारी को निर्देश दिए गए। सामूहिक रूप से राजस्व ,नगर निगम ,पीडब्लयडी , ई- तथा कैंटोनमेंट के सामूहिक टीम द्वारा कैंटोनमेंट लैंड का सर्वे कराने के निर्देश। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं ग्रीन जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में डेकोरेटेड लाईट लगाने एवं बाउंड्री वॉल पर शहर से संबंधित प्रमुख स्थानो के साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए जिससे कि बाहर से आ रहे है पर्यटकों को सुविधा हो।निरीक्षण के दौरान कैंटोनमेंट सीईओ, उपाध्यक्ष महोदय एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 28.12.2024

अपर सचिव वाविप्रा डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में 27.दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 15.12.2024 से 21.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 27,75,098.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में

माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,92,68,827.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 21.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-17,47,706.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकरी, श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 28.12.2024

कैंटोनमेंट एरिया में विकसित होगा वेंडिंग जोन फुटपाथ, बेंचेज व ग्रीन बेल्ट : उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग

• कैंटोनमेंट सीईओ व वीसी ने फुटपाथों का किया निरीक्षण, कहा होटलों के अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग व कैंटोनमेंट सीईओ सत्यम मोहन ने संयुक्त रूप से कैंटोनमेंट एरिया के फुटपाथों व सड़कों का निरीक्षण कर दिए कई निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग व कैंटोनमेंट सीईओ सत्यम मोहन ने नेहरू पार्क से लेकर आशियाना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ वर्तमान समय में पर्यटक एवं आम यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ विकसित किए जाने के क्रम में शुक्रवार को फुटपाथ चिन्ह्यांकन के लिए स्थल निरीक्षण करते हुए कई निर्देश जारी किए। जिसमें सड़क के दोनों ओर फुटपाथ विकसित करने जिससे वर्तमान में पर्यटक एवं आम यात्रियों को पैदल चलने में सुविधा हो।

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग व कैंटोनमेंट सीईओ सत्यम मोहन ने सड़क के दोनों तरफ बेंचेज लगाने ,वेडिंग जोन विकसित करने एवं व्यवस्थित स्थान पर सुविधाजनक पार्किंग बनाने के निर्देश दिए।वर्तमान समय में होटल के बाहर हो रहे पार्किंग को संबंधित होटल के पार्किंग में वाहनों को पार्क करवाने के लिए संबंधित जोनल अधिकारी को निर्देश दिए।वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने कहा कि जो होटल बेसमेंट में वाहनों को पार्क न करा कर सड़कों पर वाहनों को पार्क करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दी जाएगी। इस दौरान दोनों अफसरों ने सामूहिक रूप से राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, वीडीए तथा कैंटोनमेंट के सामूहिक टीम द्वारा कैंटोनमेंट लैंड का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं ग्रीन जोन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। सड़क के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में डेकोरेटेड लाईट लगाने एवं बाउंड्री वॉल पर शहर से संबंधित प्रमुख स्थानो के साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए जिससे कि बाहर से आ रहे हैं पर्यटकों को सुविधा हो।निरीक्षण के दौरान कैंटोनमेंट सीईओ, उपाध्यक्ष वीडीए एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

आज–दि0 28.12.2024

एक भवन का ध्वस्तीकरण, दूसरा हुआ सील

व्रिपा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को सामनेघाट स्थित लंका के प्रतिबंधित २०० मीटर के दायरे में अवैध भवन का निर्माण कराया जा रहा था। संबंद्धित निर्माण को लेकर भवन स्वामी प्रदीप यादव को सुनवाई के लिए नोटिस भी दी गयी थी लेकिन भवन स्वामी समय से उपस्थित नहीं हो सके जिसकी वजह से शुक्रवार को जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह, सोनू कुमार, सुपरवाइजर और स्थानीय थाने की पुलिस बल के सहयोग से प्रवर्तन दल की टीम ने जेसीबी के माध्यम से भवन निर्माण को ध्वस्त करा दिया। जिसके बाद भवन स्वामी को भी चेतावनी दी गयी कि बिना मानचित्र स्वीकृत हुए निर्माण कराने पर कानूनी काररवाई भी की जायेगी। इसी क्रम में वार्ड भेलूपुर भवन संख्या २७/६४ सी.एन.डी. दुर्गाकुण्ड के पास एक भवन स्वामी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य करा रहा था। इस संबंध में तीन अक्तूबर को एक नोटिस जारी की गयी थी जिसमें उसे भवन निर्माण पर रोक लगाया गया था लेकिन भवन स्वामी नोटिस को अनदेखा करते हुए अवकाश के दिनों एवं रात्रि में निर्माण कार्य जारी रखा। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, अवर अभियंता सोनू कुमार, सुपरवाइजर, स्थानीय थाने की पुलिस की देखरेख में भवन को सील कर दिया गया और संबंधित थाने की अभिरक्षा में इसे सौंप दिया गया।